

तत्काल
तिथिबद्ध

क्रमांक 46/5/1993-5पोल
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 22 सितम्बर, 2023.

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला, करनाल, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम तथा हिसार मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।

विषय: 23 सितम्बर, 2023 को 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' मनाने बारे ।

<<0>>

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 9/5/82-पोल (5पी), दिनांक 28 जुलाई, 1982 की ओर दिलाते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि सरकार ने निर्णय लिया है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 23 सितम्बर का दिन 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' के रूप में गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाये और इस दिन प्रत्येक जिले में जनसभायें, समारोह, गोष्ठियां आदि आयोजित करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाये । शहीदों के परिवारों तथा युद्ध में वीरता पुरस्कार पाने वालों को स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर यथावत् सम्मानित किया जाये। इस समारोह में स्वतन्त्रता सेनानियों एवं कारगिल के योद्धाओं को भी आदरपूर्वक आमन्त्रित किया जाये ।

2. आपसे अनुरोध है कि इन समारोहों के आयोजन बारे जिला स्तर पर भली-भांति प्रचार किया जाये तथा समारोहों के आयोजन का प्रेस विज्ञप्ति को भी पूर्ण विवरण दिया जाये ।

भवदीय



उप अधीक्षक राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार । *ps*

एक प्रति हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी जाती है ।



उप अधीक्षक राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा ।

अशा: क्रमांक 46/5/1993-5पोल

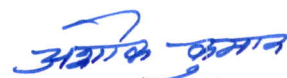
दिनांक चण्डीगढ़ 22 सितम्बर, 2023

पृ० क्रमांक 46/5/1993-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 22 सितम्बर, 2023.

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

1. एक-एक प्रति मुख्य मंत्री/मुख्य मंत्री के मुख्य प्रधान सचिव/प्रधान सचिव (वी.उमाशंकर)/अतिरिक्त प्रधान सचिव (अमित कुमार अग्रवाल)/उप प्रधान सचिव (एम.पान्दुरंगा)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/ विशेष कार्य अधिकारी (सुधांशु गौतम) उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष हरियाणा विधान सभा, मंत्रीगण, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के मुख्य स्टाफ अधिकारी/विशेष वरिष्ठ सचिव/सचिवों/निजि सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है ।
2. अवर सचिव, हरियाणा सरकार, न्यायाचार एवं प्रचार विभाग ।



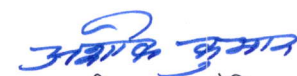
उप अधीक्षक राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार । 

पृ० क्रमांक 46/5/93-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 22 सितम्बर, 2023.

एक प्रति महानिदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई के लिये भेजी जाती है ।



उप अधीक्षक राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ० क्रमांक 46/5/93-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 22 सितम्बर, 2023

एक प्रति मुख्य स्टाफ अधिकारी/मुख्य मंत्री महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी जाती है ।



उप अधीक्षक राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।